सप्तदश

बिहार विधान सभा

की

निवेदन समिति

का

चतुर्थ प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के सत्र में प्राप्त उद्योग विभाग से संबंधित निवेदन संख्या 188/21 पर प्रतिवेदन ।

(दिनांक 28.06.2022 ई० को सदन में उपस्थापित)।

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. निवेदन समिति के सदस्यों की सूची	क
2. सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन	1
5. परिशिष्ट	2–12

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का वित्तीय कार्य 2021–22 के लिए गठित निवेदन समिति के माननीय सदस्यों की सूची—

सभापति

1. श्री विनोद नारायण झा (32) स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री पन्ना लाल सिंह पटेल (150) स०वि०स०
2. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (20) स०वि०स०
3. श्री राहुल तिवारी (198) स०वि०स०
4. श्री बच्चा पाण्डेय (110) स०वि०स०
5. श्री राम विलास कामत (42) स०वि०स०
6. श्री अजय कुमार सिंह (166) स०वि०स०
7. ई० शशि भूषण सिंह (11) स०वि०स०
8. श्री छोटे लाल राय (121) स०वि०स०
9. श्री कुंदन कुमार (146) स०वि०स०
10. श्री राजीव कुमार सिंह (164) स०वि०स०
11. श्री श्रीकान्त यादव (113) स०वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

1. श्री शैलेन्द्र सिंह	सचिव
2. श्री पवन कमार पाण्डेय	संयुक्त सचिव
3. श्री पवन कुमार सिन्हा	उप–सचिव
4. श्री (मो0) शमीम अहमद	अवर–सचिव
5. श्री सुधीर कुमार सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्रीमती रूशदा रहमान	प्रशाखा पदाधिकारी
7. श्रीमती प्रेरणा कुमारी	सहायक
8. श्री प्रवीण कुमार	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, निवेदन समिति, बिहार विधान सभा की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में उद्योग विभाग से संबंधित निवेदन पर निवेदन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

निवेदन के संबंध में विचार–विमर्श तथा कार्यान्वयन मुख्य समिति के द्वारा किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से सहयोग करने के लिए समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ ।

———————

विनोद नारायण झा,
सभापति,
निवेदन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार जायसवाल, स0 वि0 स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 188/21

बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू है। जिसमें 10.00 (दस) लाख के लोन में 5.00 (पाँच) लाख सब्सिडी है तथा 84 बराबर किश्तों में भुगतान करने का प्रावधान है ।

सरकार के पिछड़ा/अतिपिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को भी उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 (दस) लाख रूपये का लोन दिलाने हेतु निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट–1)

श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0 के उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरांत प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सराकर, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 2545, दिनांक 11 जून, 2021 (परिशिष्ट–2) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया ।

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 2488, दिनांक 23 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट–3) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक 782, दिनांक 17 मई, 2018 द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू है। साथ ही संकल्प ज्ञापांक 204, दिनांक 04 फरवरी, 2022 द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में अतिपिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया है। उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1037 एवं संकल्प संख्या 1038, दिनांक 13 मई, 2021 द्वारा क्रमशः मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा योजना लागू की गयी है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 में पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बेरोजगार (महिला एवं पुरूष) के लिए भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत 10.00 (दस) लाख रूपया ऋण दिये जाने हेतु योजना का शुभारंभ दिनांक 18 जून, 2021 से प्रारंभ हो चुकी है।

समिति का निर्णय

दिनांक 27 जनवरी, 2021 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय उत्तर प्रतिवेदन ज्ञापांक 2488, दिनांक 23 जुलाई, 2021 के आलोक में निवेदन संख्या 188/2021 को कार्यान्वित मान लिया गया ।

परिशिष्ट–1

निवेदन संख्या 188/21

सेवा में,

बिहार विधान सभा, पटना।

बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना लागू है जिसमें 10 लाख के लोन में 5 लाख सब्सिडी है तथा 84 बराबर किश्तों में भुगतान करने का प्रावधान है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार पिछड़ा/अतिपिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को भी उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख रु0 का लोन देने की कृपा की जाए ।

परिशिष्ट–2

सं0 2 नि0–188/2021–2545/वि0 स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अवर–सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 11 जून, 2021 (ई0)।

विषय – सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 188/21 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–292 (घ) के अन्तर्गत श्री पवन कुमार जायसवाल, स0 वि0 स0 द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाय तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये ।

विश्वासभाजन,

अरविन्द कुमार मिश्र,

अवर–सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–3

श्री पवन कुमार जायसवाल, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 188/21 का उत्तर

निवेदन

बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू है। जिसमें 10.00 (दस) लाख के लोन में 05.00 (पाँच) लाख सब्सिडी है, तथा 84 बराबर किस्तों में भुगतान करने का प्रावधान है।

सरकार पिछड़ा/अतिपिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को भी उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 (दस) लाख रूपये का लोन देने की कृपा की जाय ।

सरकार का वक्तव्य

उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक 782, दिनांक 17 मई, 2018 द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू है। साथ ही संकल्प ज्ञापांक 204, दिनांक 04 फरवरी, 2020 द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में अतिपिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया है। उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1037 एवं संकल्प ज्ञापांक 1038, दिनांक 13 मई, 2021 द्वारा क्रमशः मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा योजना लागू की गयी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बेरोजगार (महिला एवं पुरूष) के लिए भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत 10.00 (दस लाख) रूपया ऋण दिये जाने हेतु योजना का शुभारंभ दिनांक 18 जून, 2021 से प्रारंभ हो चुकी है।

सं0 4 तक0/युवा उद्यमी/145/2020–1038

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

संकल्प

13 मई, 2021

विषय––राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता/स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु रु0 200.00 (दो सौ) करोड़ की स्वीकृति ।

उद्योग विभागीय संकल्प संख्या 782, दिनांक 17 मई, 2018 एवं संकल्प संख्या 204, दिनांक 04 फरवरी, 2020 द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचित पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री अनुसूचित /अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लागू है। इसी क्रम में राज्य के युवाओं के बीच स्व–रोजगार/उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना** लागू किया जाता है।

2. राज्य के युवाओं द्वारा स्व–रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिय कोलेटरल सेक्यूरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी के लिए राशि नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के युवाओं को स्व–रोजगार/उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया जा रहा है।

3. इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा ।

4. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत है :––

i. बिहार के निवासी हो ।

ii. कम–से–कम 10+2 या इन्टरमीडियट, आई0 टी0 आई0 पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उतीर्ण हो ।

iii. 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हों।

iv. इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd. Company हो।

v. प्रोपराईटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जायेगा ।

vi. सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष इस योजना के लिए पात्र होंगे ।

5. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :–

i. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना — अध्यक्ष

ii. निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय – सदस्य–सह–सचिव

iii. उद्योग निदेशक, बिहार, पटना – सदस्य

iv. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना – सदस्य

v. विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार – सदस्य

vi. उप–उद्योग निदेशक, योजना प्रभारी, उद्योग विभाग – सदस्य

vii. चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रतिनिधि – सदस्य

viii. विकास प्रबंधन संस्थान, पटना के प्रतिनिधि – सदस्य

ix. अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना – सदस्य

x. अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना– सदस्य

6. इस योजनान्तर्गत लाभुकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जायेगा। चयन समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी ।

7. इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन, राशि की स्वीकृति/विमुक्ति एवं ऋण की वसूली निम्न प्रक्रिया के तहत की जायेगी :—

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के दूसरे एवं तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। तिमाही के समाप्ति के 15 दिनों के अंदर, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विभाग से प्रारंभिक जांच किये गये आवेदनों की सूची को संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को भौतिक सत्यापन हेतु अग्रसारित की जायेगी। तत्पश्चात् तकनीकी विकास निदेशालय चयनित एवं सत्यापित लाभुकों को प्रशिक्षण एवं DPR बनाने हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में 02 सप्ताह के लिए भेजेगी। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त चयन समिति DPR के अनुसार परियोजना की कुल राशि की स्वीकृत करेगी। जिसकी विमुक्ति अधिकतम दो चरणों में की जायेगी। चरणवार राशि विमुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने हुए उद्यम पर निर्भर करेगा। जिसकी विवरणी DPR में वर्णित रहेगा। आवेदक द्वारा प्रथम किस्त की राशि प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर व्यय कर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के सत्यापन के पश्चात् 3 कार्य दिवस के अंदर द्वितीय किस्त की राशि स्वीकृति कर दी जायेगी। अपेक्षित 30 दिनों के अंदर व्यय नहीं हो पाने की स्थिति में महाप्रबंधक व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए लाभुक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। फिर भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा। द्वितीय किस्त के विमुक्ति के पश्चात लाभुक द्वारा अधिकतम 45 दिनों में उत्पादन प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाएगा। अन्यथा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के एक माह पूर्व से आवेदक को निर्धारित किश्त के सम्बन्ध में सूचना निर्गत करते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित की जायेगी। इस योजना का लाभ परिवार (पति–पत्नी एवं उनके अवयस्क संतान) के सिर्फ एक सदस्य को दिया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में कोई कठिनाई आती है तो विभाग अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेगा ।

8. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु0 5.00 लाख 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) ब्याज सहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा योजना के तहत अंतिम किस्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त इसकी वसूली बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। लाभुक द्वारा ऋण की आदायगी समय पर न किये जाने या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय अनियमितता किये जाने पर सन्निहित राशि की वसूली सरकारी भू–राजस्व के रूप में की जायेगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रु0 5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगी। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई रु0 25,000 के दर से व्यय किया जायेगा ।

9. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा। इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का ही लाभ देय होगा ।

10. **बजट शीर्ष एवं बजट का उपबंध**–इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप–मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–लघु उद्योग, उप–शीर्ष–0108–मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना–सात निश्चय–2 एवं

मुख्य शीर्ष 6851–ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, उप–मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–लघु उद्योग, उप–शीर्ष–0102–मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना–सात निश्चय–2 में प्राप्त बजट की राशि से की जायेगी ।

11. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0) तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट को एकमुश्त राशि उपलब्ध करायेंगे ।

12. आवेदन पत्रों की स्वीकृति उपलब्ध बजट अधिसीमा के अन्तर्गत की जायेगी ।

13. लक्षित आबादी के अनुसार इस योजना का जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा ।

14. दिनांक 19 अप्रील, 2021 को राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा मद संख्या 08 के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

15. यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव ।

सं0 सं0 4 तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018–1036

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

संकल्प

13 मई, 2021

विषय––मुख्मंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक 782, दिनांक 17 मई, 2018 एवं संकल्प ज्ञापांक 204, दिनांक 04 फरवरी, 2020 में संशोधन ।

राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 782, दिनांक 17 मई, 2018 एवं संकल्प ज्ञापांक 204, दिनांक 04 फरवरी, 2020 द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लागू है।

2. योजना के तहत परियोजना के कम समय में सुचारू रूप से पूरा करने हेतु संकल्प ज्ञापांक 782, दिनांक 17 मई, 2018 एवं संकल्प ज्ञापांक 204, दिनांक 04 फरवरी, 2020 की निम्न संशोधन किया जाता है :–

i. कंडिका 2 (iv) आवेदकों की उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक निर्धारित किया जाता है।

ii. कंडिका 6 लाभुकों को स्वीकृत परियोजना राशि की विमुक्ति 02 (दो) चरणों (किस्तों) में की जायेगी ।

3. संकल्प संख्या 782, दिनांक 17 मई, 2018 की कंडिका 6 के बाद निम्न कंडिका 6 (क) जोड़ा जाता है :––

6 (क) इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे । तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विभाग से प्रारंभिक जांच किये गये आवेदनों की सूची को संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को भौतिक सत्यापन हेतु अग्रसारित की जायेगी। तत्पश्चात् तकनीकी विकास निदेशालय चयनित एवं सत्यापित लाभुकों को प्रशिक्षण एवं DPR बनाने हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में 02 सप्ताह के लिए भेजेगी। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त चयन समित DPR के अनुसार परियोजना की कुल राशि स्वीकृत करेगी जिसकी विमुक्ति अधिकतम दो चरणों में की जायेगी। चरणवार राशि की विमुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने हुए उद्यम पर निर्भर करेगा जिसकी विवरणी DPR में वर्णित रहेगा। आवेदक द्वारा प्रथम किस्त की राशि प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर व्यय कर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के सत्यापन के पश्चात् 03 कार्य दिवस

के अंदर द्वितीय किस्त की राशि स्वीकृति कर दी जायेगी। अपेक्षित 30 दिनों के अंदर व्यय नहीं हो पाने की स्थिति में महाप्रबंधक व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए लाभुक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे । फिर भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा द्वितीय किस्त के विमुक्ति के पश्चात् लाभुक द्वारा अधिकतम 45 दिनों में उत्पादन प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के एक माह पूर्व से आवेदक को निर्धारित किस्त के सम्बन्ध में सूचना निर्गत करते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित की जायेगी। इस योजना का लाभ परिवार (पति–पत्नी एवं उनके अवयस्क संतान) के सिर्फ एक सदस्य को दिया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में कोई कठिनाई आती है तो विभाग अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेगा ।

4. संकल्प ज्ञापांक 782, दिनांक 17 मई, 2018 एवं संकल्प ज्ञापांक 204, दिनांक 04 फरवरी, 2020 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी ।

5. यह संशोधन संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

6. दिनांक 19 अप्रील, 2021 को राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा मद संख्या 03 के रूप में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव ।

सं0 सं0 4 तक0/महिला उद्यमी/144/2020–1037

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

संकल्प

13 मई, 2021

विषय––राज्य के महिलाओं के बीच उद्यमिता/स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु रु0 200.00 (दो सौ) करोड़ की स्वीकृति ।

उद्योग विभागीय संकल्प संख्या 782, दिनांक 17 मई, 2018 एवं संकल्प संख्या 204, दिनांक 04 फरवरी, 2020 द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री अनुसूचित /अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लागू है। इसी क्रम में राज्य के महिलाओं में उद्यमिता स्व–रोजगार/को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना** लागू किया जाता है।

2. राज्य के महिलाओं द्वारा स्व–रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेटरल सेक्यूरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी के लिए राशि नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के महिलाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत Transgender को भी समान लाभ दिया जायेगा ।

3. इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा ।

4. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत है :—

i. बिहार के निवासी हो ।

ii. कम–से–कम 10+2 या इन्टरमीडियट, आई0 टी0 आई0 पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उतीर्ण हो ।

iii. 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हों।

iv. इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd. Company हो।

v. प्रोपराईटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जायेगा ।

5. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है—

i. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना — अध्यक्ष

ii. निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय – सदस्य–सह–सचिव

iii. उद्योग निदेशक, बिहार, पटना – सदस्य

iv. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना – सदस्य

v. विभागीय आंत्रिक वित्तीय सलाहकार – सदस्य

vi. उप–उद्योग निदेशक, योजना प्रभारी, उद्योग विभाग – सदस्य

vii. महिला विकास निगम, बिहार, पटना के प्रतिनिधि – सदस्य

viii. चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रतिनिधि – सदस्य

ix. विकास प्रबंधन संस्थान, पटना के प्रतिनिधि – सदस्य

x. अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना – सदस्य

xi. अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना– सदस्य

6. इस योजनान्तर्गत लाभुकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जायेगा। चयन समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी ।

7. इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन, राशि की स्वीकृति/विमुक्ति एवं ऋण की वसूली निम्न प्रक्रिया के तहत की जायेगी :—

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के दूसरे एवं तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। तिमाही के समाप्ति के 15 दिनों के अंदर अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विभाग से प्रारंभिक जांच किये गये आवेदनों की सूची को संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को भौतिक सत्यापन हेतु अग्रसारित की जायेगी। तत्पश्चात् तकनीकी विकास निदेशालय चयनित एवं सत्यापित लाभुकों को प्रशिक्षण एवं DPR बनाने हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में 02 सप्ताह के लिए भेजेगी। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त चयन समिति DPR के अनुसार परियोजना की कुल राशि स्वीकृत करेगी जिसकी विमुक्ति अधिकतक दो चरणों में की जायेगी। चरणवार राशि की विमुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने हुए उद्यम पर निर्भर करेगा जिसकी विवरणी DPR में वर्णित रहेगा। आवेदक द्वारा प्रथम किस्त की राशि प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर व्यय कर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के सत्यापन के पश्चात् 3 कार्य दिवस के अंदर द्वितीय किस्त की राशि स्वीकृति कर दी जायेगी। अपेक्षित 30 दिनों के अंदर व्यय नहीं हो पाने की स्थिति में महाप्रबंधक व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए लाभुक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। फिर भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा। द्वितीय किस्त के विमुक्ति के पश्चात् लाभुक द्वारा अधिकतम 45 दिनों

में उत्पादन प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के एक माह पूर्व से आवेदक को निर्धारित किस्त के सम्बन्ध में सूचना निर्गत करते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित की जायेगी। इस योजना का लाभ परिवार (पति–पत्नी एवं उनके अवयस्क संतान) के सिर्फ एक सदस्य को दिया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में कोई कठिनाई आती है तो विभाग अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेगा ।

8. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु0 5.00 लाख ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगा तथा योजना के तहत अंतिम किस्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त इसकी वसूली बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। लाभुक द्वारा ऋण की अदायगी समय पर न किये जाने या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय अनियमितता किये जाने पर सन्निहित राशि की वसूली सरकारी भू–राजस्व के रूप में की जायेगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रु0 5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगी। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई रु0 25,000 के दर से व्यय किया जायेगा ।

9. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा। इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का ही लाभ देय होगा ।

10. बजट शीर्ष एवं बजट का उपबंध–इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप–मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–लघु उद्योग, उप–शीर्ष–0109–मुख्यमंत्री युवा महिला योजना–सात निश्चय–2 एवं

मुख्य शीर्ष 6851–ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, उप–मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–लघु उद्योग, उप–शीर्ष–0103–मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना–सात निश्चय–2 में प्राप्त बजट की राशि से की जायेगी ।

11. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0) तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट को एकमुश्त राशि उपलब्ध करायेंगे ।

12. आवेदन पत्रों की स्वीकृति उपलब्ध बजट अधिसीमा के अन्तर्गत की जायेगी । साथ ही योजना के तहत आवंटित राशि का 75 प्रतिशत व्यय हो जाने पर अतिरिक्त आवंटन की मांग की जायेगी।

13. महिला आबादी के अनुसार इस योजना का जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा ।

14. दिनांक 19 अप्रील, 2021 को राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा मद संख्या– 07 के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

15. यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव।

बि0 स0 मु0–96 (एल0 ए0) 2022–23–डी0टी0पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2022